संख्या-19/2021/1309/77-6-2021-5(बजट)/17

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021**

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू.172,53,03,394.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/2056 दिनांक 26-03-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय(क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रू0 172,53,03,394.00 (रूपये एक सौ बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत 04 पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रू.172,53,03,394.00 (रूपये एक सौ बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई के बैंक खाते में एवं पिकप को देय प्रशासनिक व्यय की धनराशि पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी कम्पनियों का विवरण निम्नवत् है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(राशि रू0 में)

क्र. सं.	कम्पनी	अनुमोदित धनराशि	शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में देय धनराशि (90 प्रतिशत)*	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की धनराशि	इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स आर.सी.सी.पी.एल. प्रा0 लि0	54,67,00,020.00	49,20,30,018.00	49,20,300.00	48,71,09,718.00
2	मेसर्स श्री सीमेंट लि0, बुलन्दशहर	88,73,58,258.00	79,86,22,432.00	79,86,224.00	79,06,36,208.00
3	मेसर्स वरूण बेवरेजस लि0,सण्डीला, हरदोई।	43,85,50,512.00	39,46,95,461.00	39,46,955.00	39,07,48,506.00
4	मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।	4,43,94,981.00	3,99,55,483.00	3,99,555.00	3,95,55,928.00
	कुल योग	191,70,03,771.00	172,53,03,394.00	1,72,53,034.00	170,80,50,360.00
कुल धनराशि (5+6)-					172,53,03,394.00
(रूपये एक सौ बहत्तर करोड़ तिरपन लाख तीन हजार तीन सौ चौरानबे मात्र)					

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(3) तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गयी धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त लाभार्थी कंपनियों के बैक खातों में अन्तरित की जायेगी जिसका विवरण संलग्नक-1 पर है। उक्त स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग रू0 1,72,53,034.00 (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख तिरपन हजार चौंतीस मात्र) पिकप के बैंक खाते में संलग्नक-2 के विवरण अनुसार प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तान्तरित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

(5) किसी भी दशा में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020 व 18-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) प्रशासकीय विभाग इस सम्बन्ध में पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगें कि प्रस्ताव में वर्णित इकाइयां संगत नीति एवं शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सुविधाएं प्राप्त किए जाने हेतु अर्ह है। इसका सम्यक परीक्षण प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा चुका है।

(8) स्वीकृत की जा रही रियायतों की धनराशियों की शुद्धता भी प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित करेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराये जायेगें।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलबध कराया जाएगा।

3- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य (क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई6-285/दस-2021 दिनांक 30-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-19/2021/1309(1)/77-6-20-5(बजट)/17तद्दिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आईआईआईपी-2012/मेगा/2056 दिनांक 26-03-2021 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
10- नियोजन अनुभाग-1/4
11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in